

3767

F9054

532



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

575192

फोटो सवालों के जवाबों के
आधार पर स्थापित किया

विक्रय-मूल्य - 17,52,000/-

स्टाम्प - 1,22,700/-

परगना व तहसील - दादरी जिला गौतमबुद्धनगर

विक्रय-विलेख

1. भूमि प्रकार - कृषि
2. परगना व तहसील-दादरी जिला गौतमबुद्धनगर (उ० प्र०)
3. ग्राम चमरावली रामगढ़
4. सम्पत्ति का विवरण-आराजी खसरा संख्या-37
5. मापन की इकाई - हेक्टेयर
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.13425 हेक्टेयर
7. सड़क की स्थिति - (परिशिष्ट के अनुसार)रोड से 1 किमी० से अधिक दूरी पर
8. अन्य विवरण (9 मीटर रोड/ कार्नर इत्यादि) - X
9. सम्पत्ति का प्रकार :- कृषि भूमि
10. पेडो का मूल्यांकन- X
11. निर्माण का वर्ष - X
12. सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है-नहीं
13. विक्रेता व क्रेता दोनों ही अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं हैं।

21/4/21

5/4/21

कार्यालय उप कोषागार
दादरी

- 2 JUL 2009

स्टाम्प नं०.....
स्टाम्प नं०.....में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

मो. सं. 5-41/211 100

1202 डाक सेवा गान वगैरह जमाग
नरसिंह 54 1700/100

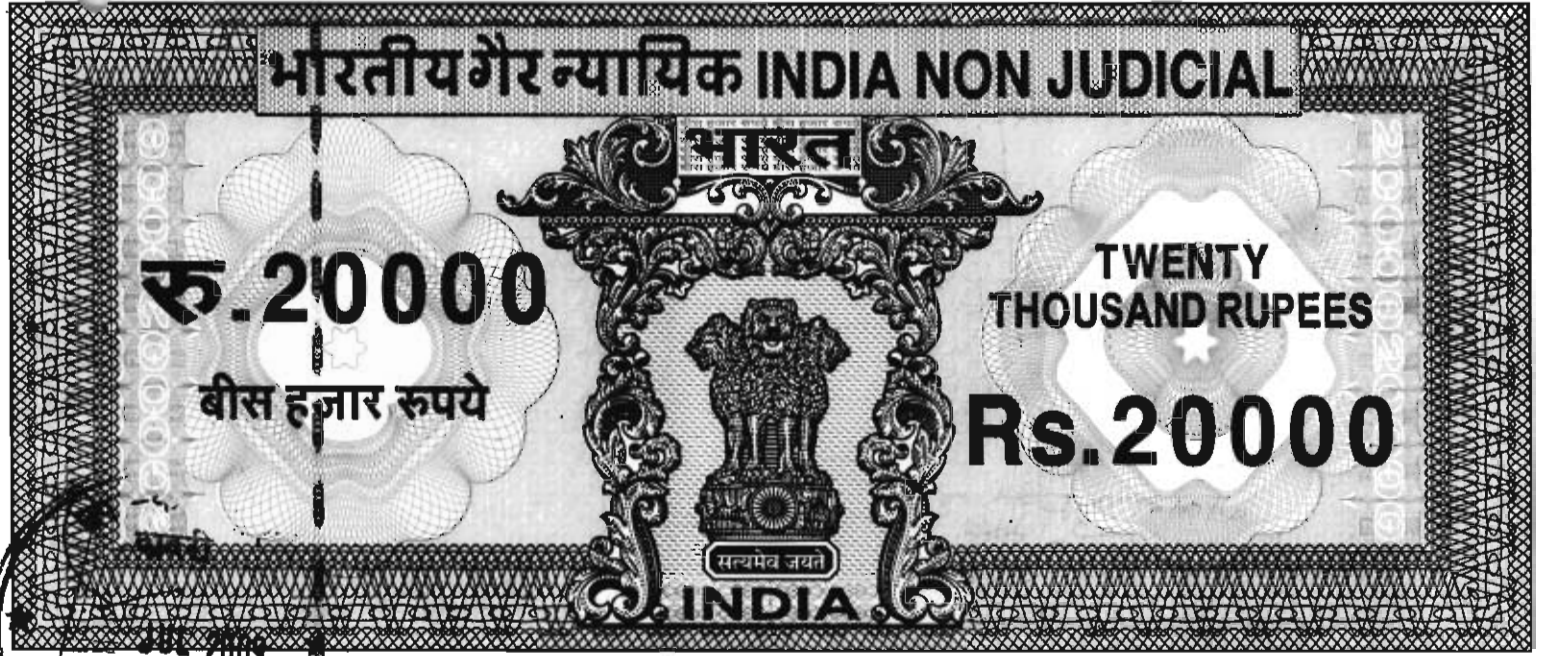
1752.000- फौत राज 5000-
जस्त 200 योग 502.95 शब्द लगभग 800
श्री शिवदत्त शर्मा
श्री शिवदत्त शर्मा
दत्तवली हठदारा
कार्यालय सब रजिस्टर दादरी जिला
गोतम बुद्ध वनगर में आज दिनांक 24/8/09
मध्य 11.45 बजे प्रस्तुत किया।

श्री शिवदत्त शर्मा 24/8/09

इस लेखन का निवादन एवं इसके लिए
1752.000- फौत राज

श्री शिवदत्त शर्मा 3000-
पण्डित वगैरह से श्री शिवदत्त शर्मा 3000-
दिनांक 254 चन्द्रसेन कोषागार दादरी फौत
श्री शिवदत्त शर्मा





2

प्रथम पक्ष की संख्या — (1)

द्वितीय पक्ष की संख्या (1)

विक्रेता का विवरण

रविदत्त शर्मा, पुत्र श्री रतीराम निवासी ग्राम दतावली परगना व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर उ० प्र०।

व्यवसाय — खेती

क्रेता का विवरण

एंकर इन्फ्राप्रोजेक्ट लि०, कार्यालय स्थित—1202, अन्तरिक्ष भवन, 22 कस्तूरबा गौंधी मार्ग, नई दिल्ली—110001 द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी एस० बी० सिंह पुत्र श्री एस० पी० सिंह, निवासी 254 चन्द्रलोक कालोनी, लखनऊ उ० प्र०।

व्यवसाय — व्यापार

मैं कि रविदत्त शर्मा, पुत्र श्री रतीराम निवासी ग्राम दतावली परगना व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर उ० प्र०। (जिन्हे आगे विक्रेता कहा गया है) के हैं—

रविदत्त शर्मा



कार्यालय उप कोषागार
दादरी

-2 JUL 2009

स्टाम्प नं० 6 ख. 2009

स्टाम्प नं० 1 में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

स्टाम्प नं० 6 १९७० 20/11/70
स्टाम्प नं० 1 में शामिल किया गया
उप रोकडिया

गोपनीय

~~दहावस्रो हण्डादा~~

प्रतिभा कुमारी

[illegible]

डि. एस. एल. लिख

100

मल रजिस्ट्रार दादरी
२५/६/०९

2016-2017

[Signature]

2122V

Y. F. Vetter

~~24/8/09~~



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

575196

3

जो कि विक्रेता अपनी भूमि खाता सं०-226 खसरा संख्या-37, रकबा 0.5370 हेक्टेयर में अपना 1/4 भाग सम्पूर्ण रकबा 0.13425 हेक्टेयर स्थित ग्राम चमरावली रामगढ़ परगना व तहसील-दादरी जिला गौतमबुद्धनगर, उ० प्र० का मालिक व काबिज है। उक्त भूमि विक्रेता की पैतृक सम्पत्ति है और विक्रेता को वरासतन प्राप्त हुई है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों (खसरा, खतौनी) में विक्रेता के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। उक्त भूमि हर प्रकार के विवादों, भारों, विभिन्न प्रकार के, रहन, बंधक, इकरार, कुर्की, जमानत, हिबा, आदि से बरी व पाक व साफ है। जिसको विक्रय करने का पूर्ण अधिकार मुझ विक्रेता को प्राप्त है। चूंकि विक्रेता को रुपयों की सख्त आवश्यकता है। अतः अपनी राजि खुशी से बिना किसी जोर दबाव, नाजायज के बय जरूरत होशों हवास में उपरोक्त आराजी नम्बरी व पैमाईशी, जिसका विस्तृत विवरण इस अभिलेख के अन्त में दिया गया है। को बकीमती मुबलिग रुपया-17,52,000/ (सत्तरह लाख बावन हजार रुपया मात्र) जिसके आधे रुपया-8,76,000 / (आठ लाख छियत्तर हजार रुपया मात्र) होते हैं। मैं वदहस्त एंकर इन्फ्रा प्रोजेक्ट लि०, कार्यालय स्थित-1202, अन्तरिक्ष भवन, 22 कस्तूरबा गॉंधी मार्ग, नई दिल्ली-110001

रविंद्र शर्मा

रविंद्र



- 2 JUL 2009

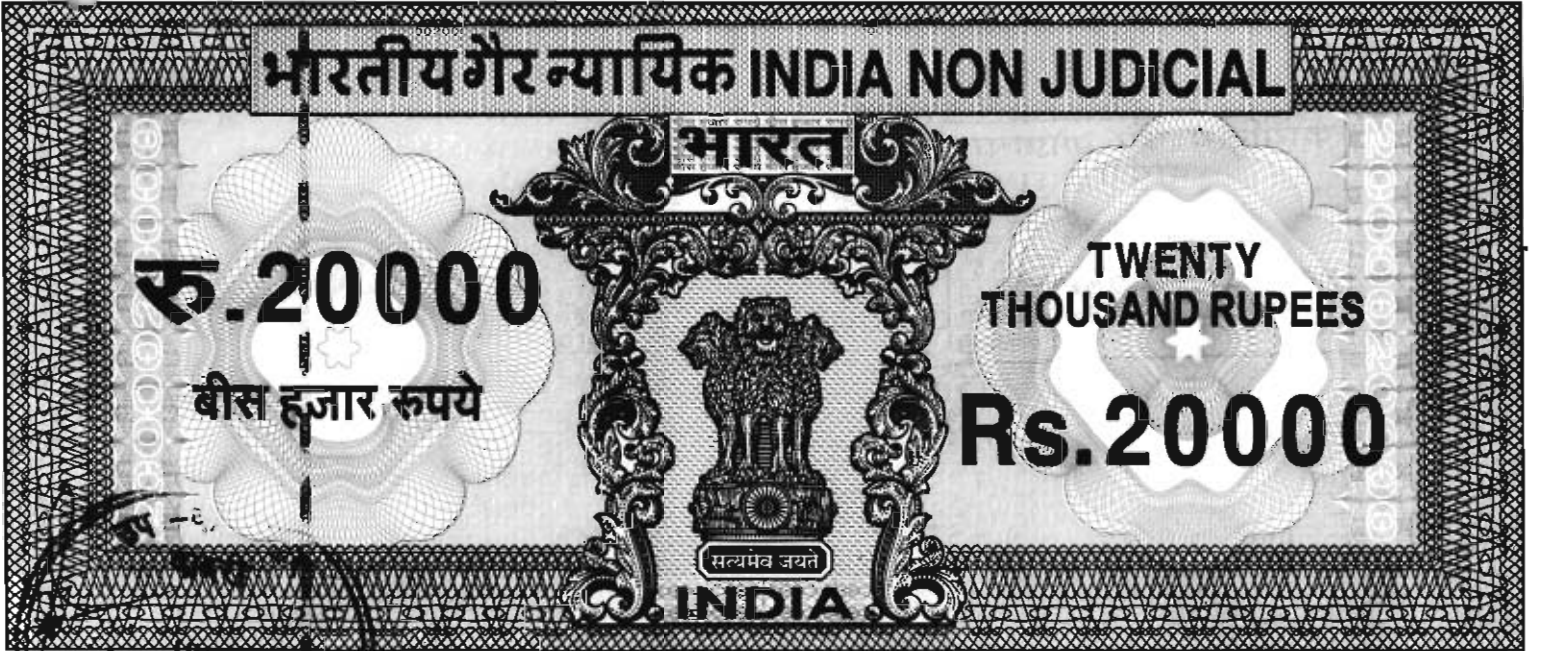
स्टाम्प नं. 5/111 20/11/20
स्टाम्प नं. 1/111 में शामिल किया गया
उप रोकडिया

00002.2

ਪੰਨਾ ੧੦੮

STATE OF TEXAS, COUNTY OF DALLAS.

[illegible]



JUL 2009
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
कोषाधिकारी

575195

4

द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी एस० बी० सिंह पुत्र श्री एस० पी० सिंह, निवासी 254 चन्द्रलोक कालोनी लखनऊ। (जिसे आगे क्रेता कहा गया है) के पक्ष में बय फरोख्त कतई किया यानि कि बेच दिया और कुल विक्रय मूल्य क्रेता से वसूल पाकर कब्जा दखल मालिकाना अपने ही समान क्रेता उपरोक्त बखूबी करा दिया अब आज की तारीख के बाद से विक्रेता या उसके वारिसान व कायम मुकामान का कोई हक या कोई हिस्सा व दावा उक्त विक्रित भूमि या उसके विक्रय मूल्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार का बाकी नहीं रहा अगर कोई व्यक्ति विक्रित भूमि या उसके विक्रय मूल्य के सम्बन्ध में क्रेता उपरोक्त से अपना हक जतावे या दावा करे तो दावा उसका इस बैनामे के समक्ष बिलकुल नाजायज शून्य होगा और अगर किसी व्यक्ति की दावेदारी या उजर दारी या हक दारी से विक्रित भूमि का कुल या जुज भाग क्रेता उपरोक्त के कब्जे से किसी भी समय निकल जावे या कब्जा न मिले मिल्कीयत या हकीयत विक्रेता की करार न पाई जावे, या अन्य किसी प्रकार से उपरोक्त भूमि के कागजात विवादित अथवा मार्ग गरशित निकले तो तमाम सूरतो में क्रेता उपरोक्त को हक व अधिकार होगा कि वह अपने द्वारा

रवि ६-८-२०११

रवि ६-८-२०११



- 2 JUL 2009

स्टाम्प नं० ५ २०५५ में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

[illegible]



5

दिया गया कुल रूपया मय हर्जा व खर्चा व नुकसान सहित विक्रेता व उसके वारिसान व कायम मुकामान की चल व अचल सम्पत्ति से न्यायालय द्वारा वसूल कर लेंवे कोई मुकाम उजर का न होगा। यदि विक्रय विलेख को पंजिकरण के पश्चात किसी प्रकार की देयता विक्रय तिथि के पूर्व की उक्त भूमि पर निकलती है अथवा किसी व्यक्ति संस्था अथवा शासन द्वारा किसी प्रकार ऋण शुल्क टेक्स लगान किराया अथवा अन्य देय उस अवधि के मागे जाते है तब विक्रेता उस राशि को स्वयं जमा करेगा। ऐसा न करने पर क्रेता उक्त राशि को विक्रेता अथवा उसकी सम्पत्ति से वसूल लेगा विक्रित भूमि किसी राष्ट्रीय मार्ग राज मार्ग जनपदीय मार्ग लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रित भूमि मुख्य मार्ग से करीब 1 किमी० की दूरी पर

रविदत्त शर्मा

5/10/20





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

575193

6

स्थित है तथा 200 मीटर त्रिज्या के अन्दर कोई निर्माण नहीं है। विक्रित भूमि पर कोई पेड़ आदि नहीं लगा है। उक्त भूमि कृषि भूमि है और जिसमें वर्तमान समय तक कृषि ही हो रही है विक्रेता व क्रेता दोनों ही अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं हैं। विक्रित भूमि ग्राम चमरावली रामगढ़ परगना व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर उ० प्र० में स्थित है विक्रित भूमि का कुल क्षेत्रफल 0.13425 हेक्टेयर है, जिस की मालियत श्रीमान जिलाधिकारी महोदय गौतमबुद्धनगर द्वारा सर्किल रेट 85,00,000/रु० प्रति हेक्टेयर की दर से निर्धारित है, लेकिन स्टाम्प इस से अधिक पर स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है। उक्त भूमि सिलिंग अथवा पट्टे नहीं है और न ही किसी सरकारी गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत की है।

रवि दत्त शर्मा

रवि दत्त शर्मा



- 2 JUL 2009

स्टाम्प नं० 2. 100 2. 100
स्टाम्प नं० 1 में शामिल किया गया
उप रोकडिया

00005.3

डिप्लोमा इन डिप्लोमा

PRAD ESH

[illegible]

कि नहि मज्झिमा निपाय १२००० शिखर १२०००





AUG 2007
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 408164

7

अतः संस्थागत वित्त उ० प्र० सरकार संस्थागत वित्त कर
एवं निबन्धन अनुभाग -5 अधिसूचना संख्या 1-सं० वि०
क० नि० -5-2756/11-2008-500(1165) / 2007
लखनऊ दिनांक- 30 जून 2008 के अनुसार, शेड्यूल 1 के
अनुसार विक्रय मूल्य पर मुबलिंग रूपया 1,22,700/रु०
स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

क्रेता व विक्रेता के मध्य कोई इकरार नामा बय पंजीकृत नहीं किया गया है।
उक्त विक्रित भूमि पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं है। विक्रेता व
क्रेता का स्थायी व अस्थायी पता उपरोक्त अनुसार है। यदि किसी कारण
यह विक्रय विलेख सक्षम अधिकारी/न्यायालय अथवा अन्य द्वारा निरस्त
अथवा शून्य घोषित कर दिया जाता है तब क्रेता विक्रेता से प्रतिफल मय
कानूनी ब्याज वसूल पाने का अधिकारी होगा है।

21.06.2008



बन्धन संख्या 15000/-





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 408165

8

मसौदाकर्ता ने मौका नहीं देखा है क्रेता विक्रेता के कथन के आधार पर मसौदा तैयार किया गया है चस्पा फोटो गवाहान के कथन पर केवल सत्यापित किये गये है। लिहाजा यह बैनामा रुबरु गवाहान खूब सोच समझकर बिना किसी जोर दबाव नाजायज के बदुरुस्त होशो हवास व स्वस्थचित्त मन से निष्पादित कर दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे तथा क्रेता ने भी अपने हस्ताक्षर कर के बैनामे का निष्पादन किया ।

5/2



रविदत्त शर्मा



४०६०... ३... स्टाम्प बिक्री की तिथि 2/08/09
 स्टाम्प कय करने का प्रयोजन...
 स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता...
 स्टाम्प की धराराशि...
 राजवीर शर्मा स्टाम्प बिक्री का
 भाग नं०-109, ला० अवांष 31-3-2008
 ४०६०... कार्यालय, सं०-16, नोएडा
 ४०६०... 15000/-

0001000

0001000

उत्तर प्रदेश राज्य

यह प्रमाण है कि निम्नलिखित व्यक्ति ने निम्नलिखित
 प्रमाणों के सहित अपने अधिकारों का प्रमाणित किया है कि
 निम्नलिखित व्यक्ति का नाम और पता निम्नलिखित है
 और कि वह निम्नलिखित व्यक्ति का अधिकार प्रमाणित करता है
 कि वह निम्नलिखित व्यक्ति का अधिकार प्रमाणित करता है
 कि वह निम्नलिखित व्यक्ति का अधिकार प्रमाणित करता है
 कि वह निम्नलिखित व्यक्ति का अधिकार प्रमाणित करता है





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

K 951976

9

विवरण भूमि बिक्रीशुदा

भूमि खाता सं०-226 खसरा संख्या-37, रकबा 0.5370 हेक्टेयर
मे अपना 1/4 भाग सम्पूर्ण रकबा 0.13425 हेक्टेयर स्थित
ग्राम चमरावली रामगढ परगना व तहसील -दादरी जिला
गौतमबुद्धनगर, उ० प्र०

तफसील वसलूयाबी जरसमन

रविदत्त शर्मा, पुत्र श्री रतीराम भूमि का तय शुदा मूल्य रुपया
17,52,000/(सत्तरह लाख बावन हजार रुपया मात्र) निम्न प्रकार प्राप्त
किया

रविदत्त शर्मा



रविदत्त शर्मा



राजवीर शर्मा स्थान नि. ता. १५/११/२००७
 भा. नं०-109, ता. अवा. 31-3-2007
 छविचित्रक कार्यालय, सं०-16, नौएडा
 फ.को. सं. 15000/-

दावरी (जिल्हा)





उत्तर प्रदेश TEAR PRADESH

N 376226

10

1. चैक संख्या 142847 अंकन-16,52,000/रु० (सोलह लाख बावन रुपये मात्र) दिनांक-24-08-09 बैंक पंजाब नैशनल बैंक चन्दन होला, महरौली नई दिल्ली के द्वारा तथा 1,00,000/रु० नगद समक्ष गवहान के प्राप्त किये ।

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रुपया-17,52,000/ (सत्तरह लाख बावन हजार रुपया मात्र) विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त कर लिया है। अब कोई भी धनराशि विक्रित आराजी से सम्बन्धित क्रेता से पाना शेष नहीं रहा है।

रवि दत्त शर्मा



क्रमांक 84 21267
 स्टाम्प विक्रेता की तिथि 19
 स्टाम्प क्रम क्रमांक का प्रयोग
 स्टाम्प क्रमांक का नाम व पूरा नाम
 स्टाम्प की कतार (1)
 उमेश चन्द शर्मा स्टाम्प विक्रेता (क्रमांक-13)
 हाईवे की अड्डा 31-3-200 (1)
 स्टाम्प का स्थान-राजस्थान कर्णाटकर, धरम, (सीतामपुरा नगर)

राजस्थान सरकार की आज्ञा पर
 राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया
 राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया





उत्तर प्रदेश UTAR PRADESH



ND
JUD



N 376227

11

विक्रेता

रविंद्र कुमार



क्रेता



गवाह नं01— विक्रेता की तरफ से राकेश कुमार पुत्र श्री मोहन लाल निवासी
ग्राम दतावली पर0 व तह0 दादरी जिला गौतमबुद्धनगर ।

रविंद्र कुमार

गवाह नं02— क्रेता की तरफ से योगेश कुमार पाठक पुत्र श्री जी0 पी0
पाठक निवासी डी0 एस0 लाल सिटी मकौडा रोड ग्राम तिलपता
करनवास पर0 व तह0 दादरी जिला गौतमबुद्धनगर ।

प.ब.न.सिंह

दिनांक-24-08-2009-मसौदाकर्ता-जयपाल सिंह नगर एडवोकेट

टाईप कर्ता-

संदीप पाण्डे



2

क्रम: 25
 स्वयं के नाम: _____
 स्वयं के पते का प्रयोग: _____
 स्वयं के नाम व पता: _____
 स्वयं की अवधि: 100
 उद्देश्य: स्वयं के स्वयं के स्वयं (अनु-13)
 स्वयं के अवधि 31-3-2008
 स्वयं का स्वयं-स्वयं स्वयं, स्वयं, (स्वयं-स्वयं स्वयं)

ज. नं. 24/8/09
 ज. नं. 2262
 ज. पुस्तक संख्या 37 खण्ड संख्या 9854
 के पृष्ठ 60 पर क्रम संख्या 9854
 पर रजिस्ट्रीकृत किया गया।

उप निबन्धक
 दादरी

